

क्रमांक:-एफ.2(3251)/डीओआईटी/संस्था/14/00999/2024

जयपुर, दि. 21/3/2024

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री अजय कुमार जाट, सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय से M.A. Final (Pol. Sci.) (सत्र-2023-25) पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु पत्राचार माध्यम से प्रवेश की अनुमति चाही गई है। उक्त हेतु श्री अजय कुमार जाट, सहायक प्रोग्रामर को अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधधीन प्रदान किया जाता है:-

1. अधिकारी/कर्मचारी को परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. अध्ययन स्वीकृती/परीक्षा की अनुमति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
3. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
4. प्रशासनिक कारणवश स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
5. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।


(संजय जगदीश कर्णिक)
संयुक्त सचिव एवं कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त सचिव, कार्यालय प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
3. श्री अजय कुमार जाट, सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


21/03/2024
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी